न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 16/2020 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2020/00128

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

विकास अधिकारी, पंचायत समिति देसूरी जिला पाली

1. श्री मदनलाल पुत्र श्री रूपाराम माली निवासी पनोता, तहसील देसूरी, जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत पनोता

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :– उभयपक्ष अनुपरिथत

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22/9/21

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत पनोता, तहसील देसूरी द्वारा मिसल संख्या 47/2004–05 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4032 दिनांक 07.12.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। निगरानी इस न्यायालय के संज्ञान में आने से गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा संख्या 4032 दिनांक 07.12.04 को 2800 वर्गफीट क्षेत्रफल का जारी किया गया। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 145(1) के तहत पट्टा बनवाने हेतु लिखित आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना होता है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 का आवेदन पत्र मिसल में नहीं होकर उनके पिताजी का आवेदन पत्र है जिसमें उनकी पत्नी सायरीदेवी के नाम पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया गया है जबकि जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी मदनलाल के नाम जारी किया गया है। जो विधीसम्मत नहीं है। प्रस्ताव रजिस्टर में पट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव लिये गए उक्त दिनांक 20.11.04 के प्रस्ताव की बैठक कार्यवाही पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार लिया गया प्रस्ताव शुन्यवृत है। मिसल में आदेशिकाओं पर न तो कोई दिनांक का अंकन है न ही सरपंच आदि के हस्ताक्षर है। भूमि स्थल के निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन नहीं किया गया है आदेशिकाओं में कमेटी के सदस्य के नाम के स्थान रिक्त छोड़े हुए है। भूमि निरीक्षण प्रपत्र पर किसी भी सदस्य अथवा सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है। आपतियाँ मांगने के सूचना पत्र पर न तो पंचायत की मोहर है न ही सरपंच के हस्ताक्षर है। तथा किस सार्वजनिक स्थान पर, किन दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थित में चस्पा किया गया उनके कोई हस्ताक्षर नहीं है। अतः जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। पट्टा 2800 वर्ग फीट का जारी किया हुआ है नक्शे पर नक्शे बनाने वाले, प्रार्थी आदि किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। जिससे पट्टा निरस्त योग्य है। एक व्यक्ति के बयान लिए गए जो मिसल संलग्न है जिसमें किसी का नाम अथवा हस्ताक्षर नहीं है। पूरी मिसल में आवेदन पत्र पर पट्टाधारक के पिताजी के अतिरिक्त किसी के भी (सरपंच, सचिव, वार्ड पंच, गवाहों) हस्ताक्षर नहीं है ओर राजस्थान पंचायती राज नियम [illegible] के तहत 2800 वर्गफीट का जारी किया गया है जबकि पंचायत [illegible] 30[illegible] वर्गगज (2700 वर्गफीट) भूमी के नियमितीकरण का [illegible] अधिकार [illegible] अधिक होने पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन [illegible] जो नहीं कराया ग[illegible] तथा पुराना मकान होने के कोई गवाह या [illegible]त नहीं है। अतः पं[illegible] राज नियमों की पालना नहीं किए जाने से उक्त जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य होने से निरस्त फरमावे।

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:05 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 को वक्त बहस बार–बार आवाजें लगाने के बावजूद भी वकालतन व असालतन अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तथा पत्रावली में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है।

प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया एवं पत्रावली संलग्न दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस निगरानी के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. पट्टा जारी करते समय प्रस्ताव नियमानुसर लिया गया है अथवा नहीं।
2. पट्टा जारी करते समय नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया गया है अथवा नहीं।

जैर निगरानी पट्टे के संदर्भ में जो प्रस्ताव पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर में दिनांक 20.11.2004 अंकित है उसमें सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है न ही पंचायत कोरम के किसी सदस्य के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी प्रस्ताव नियमानुसार नहीं लिया जाना पाये जाने से निरस्तनीय है।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 4032 दिनांक 07.12.2004 को 2800 वर्गफीट क्षेत्रफल का जारी किया गया है। जबकि पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज अथवा 2700 वर्गफीट क्षेत्रफल का ही पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार है इससे अधिक की होने पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन कराना आवश्यक है जो नहीं कराया गया है। जिससे जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टा संबंधी मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि पट्टा बाबत आवेदन प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत नहीं कर अप्रार्थी के पिता द्वारा प्रस्तुत कर उनकी पत्नी सायरीदेवी के नाम पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किया है जिस पर अप्रार्थी के पिता के हस्ताक्षर है जबकि जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी मदनलाल के नाम का जारी किया गया है। इस कारण से भी जैर निगरानी पट्टा निरस्तनीय है। मिसल संलग्न आदेशिकाओं पर न तो दिनांक अंकित है न ही सरपंच आदि के हस्ताक्षर है। भूमी के मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन नहीं किया गया है। न ही मौका निरीक्षण प्रपत्र पर किसी के हस्ताक्षर है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य है। आपतियां मांगने के सूचना पत्र पर दिनांक, जावक क्रमांक आदि का अंकन नही है तथा न ही सरपंच आदि के हस्ताक्षर है न ही किसी सार्वजनिक स्थल पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में चस्पा करने के सबूत है। नक्शे पर नक्शे बनाने वाले, प्रार्थी आदि किसी के हस्ताक्षर नहीं है। न ही उक्त भूमी के पुश्तैनी होने बाबत कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली संलग्न है तथा न ही निलामी की जाकर पट्टा जारी किया जाना पत्रावली संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है अतः जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय स्पष्टतया राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.11.2004 मिसल संख्या 47/20[illegible] के जरिये [illegible] पट्टा संख्या 4032 दिनांक 07.12.2004 को निरस्त किया जात[illegible]।

निर्णय आज दिनांक 22-9-[illegible] को [illegible]रा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुन[illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:24:05 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली